कार्यालय नगर पालिका परिषद, देवरिया।

पत्रांक 223/नि0वि0–08–09/देवरिया दिनांक 29.04.0 कुल 1 निर्माण कार्य

विक्री तिथि– खोलने व डालने की तिथि

निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद देवरिया के पंजीकृत एवं नवीनीकृत ठेकेदारो से निम्नाकिंत कार्य अवस्थापना विकास निधि से कराये जाने हेतु दिनांक 05.05.08 को सायं 4.00 बजें से सील्ड निविदाये आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन उपस्थित ठेकेदारो के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 03.05.08 को 04.00 बजें सायं तक नगर पालिका कार्यालय के निर्माण विभाग,जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ धरोहर धनराशि के रूप में एन0एस0सी0 के0बी0पी0, एफ0 डी0 आर0 आदि जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, देवरिया के पद नाम बन्धक हो ,सलग्न कर उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र पर करना अनिवार्य है। जमानत धनराशि के प्रपत्रों की छाया प्रति मान्य नही होगी।

क्र0सं0	वार्ड नं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि	जमानत धनराशि	निविदा फार्म का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1		कसया बाईपास रोड पर पैच मरम्मत का कार	879000.00	87900.00	850.00	तीन माह

नोट–

1 रेट परसेन्टेज वेसिस पर ही भरे जाय।
2 एक या समस्त निविदाओ को विना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार समक्ष अधिकारी में निहित होगा।
3 निविदा की दरे स्पष्ट रूप से शब्दो तथा अंको में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए।
4 निविदा प्रपत्र पर निविदादाता के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए।
5 निविदा स्वीकृति के पश्चात आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कर कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा नियत समय के अन्दर पूर्ण करना आवश्यक है, अन्यथा विलम्ब की दशा में जमानत धनराशि स्वतः जब्त करते हुए निविदा निरस्त कर दी जायेगं
6 ऐसे ठेकेदार जो वर्ष 2007–08 हेतु अपने ठेकेदारी पंजीयन का नवीनीकरण नही कराये है ,वे निविदा में भाग नही ले सकते है।
7 निर्माण कार्य पूर्ण होने के छः माह तक कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर जमा जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8 ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय के अन्दर कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब पर अर्थ दण्ड देय होगा।
9 अनुबन्ध हेतु स्टैम्प पेपर (कोषागार) ट्रेजरी से सीधे क्रय करना अनिवार्य है।
10 निविदा प्राप्त करने की तिथि में यदि अवकाश हुआ तो अगले कार्य दिवस में निविदा प्राप्त व खोली जायेगी।
11 निविदा की बैधता छः माह होगी।
12 अन्य शर्ते किसी भी कार्य दिवस में निर्माण अनुभाग से ज्ञात की जा सकती है।
13 निविदा के साथ किसी भी विवाद की दशा में अध्यक्ष ,नगर पालिका परिषद, देवरिया का ही निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
14 कार्य हेतु ठेकेदार को आगणन धनराशि का 10 प्रतिशत निविदा के साथ जमानत धनराशि जमा करनी होगी
15 किसी भी ठेकदार अथवा उसके सहयोगी द्वारा निविदा इत्यादि कार्य मं व्यवधान, अभद्रता, दुर्व्यवहार इत्यादि करने पर सम्बन्धित को ब्लैक लिस्टेड (काली सूची) मे करते हुए , प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी जायेगी।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
देवरिया।

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
,देवरिया।